

ing to them, if by paying that, they can close the factory. Sir, when you give the option to a trying judges, in our acquisitive society, the subjective predilection of the judge will be almost inevitably in favour of the employer and not of the employee. So, you are frustrating your own purpose which is to stop these closures.

Sir, these are the lacunae in the Bill which will frustrate the very noble purpose the Government have in mind.

SHRI DINEN BHATTACHARYA Sir, for the last one year, the same Bill that was passed by the West Bengal Consultative Committee during President's rule is who working. I request the minister to actually review what is taking place in West Bengal. In the case of reopening of the factories, it is found that the privileges and facilities that the workers were enjoying before closure have been taken away, even in cases where Government itself is taking over the management of the firms. So, I will urge upon the minister to review it personally and not be guided by the loud speeches of the Ministers there or here.

SHRI R. K. KHADILKAR The hon. member knows that in West Bengal, a certain climate which was most unhealthy for normal running of industries was created. Almost the industrial life was paralysed. Since the new regime has taken over—I can give facts and figures—the revival of industries is taking place. I am sure this Bill will help to reopen the closed undertakings.

MR. SPEAKER The question is

"That the Bill, as amendment be passed."

The motion was adopted.

12.50 hrs.

CANTONMENT (EXTENSION OF RENT CONTROL LAWS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) Sir, I beg to move*.

"That the Bill to amend the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

राज्य सभा ने इस बिल को पास कर दिया है। यह इतना सीधासादा बिल है कि इस पर बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। संविधान के अनुसार छावनियों में मकानों के किराये और मकान-मालिकों और किरायेदारों के सम्बन्ध नियन्त्रित करने के लिए कानून केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है। लेकिन संविधान के लागू होने से पहले बहा प्रदेशों के कानून लागू हुआ करते थे। संविधान के लागू होने के बाद पार्लियामेंट ने यह कानून पास कर दिया कि अगर सरकार चाहे, तो वह उन कानूनों को छावनियों में लागू कर दे। बँसा ही किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यह अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को ही है और पहले के जो कानून थे, उनको लागू करने के लिए खाम तौर से कहा गया। वह भी कर दिया गया है। वे बचिष्य के लिए लागू किये गये हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल पैदा हुए कि उसके पहले जो बहुत से मामले कचहरियों में थे, या जिनके फैसले हो चुके थे अगर उनको सुरक्षा न दी गई, तो बहुत से किरायेदारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए ऐसा इन्तजाम करना पड़ रहा है कि जब से 1950 से संविधान अमल में आया, तब से इस कानून को लगा हुआ समझा जाये, जिससे सभी छावनियों में किराये और मकान-मालिकों तथा किरायेदारों के सम्बन्ध नियन्त्रित किये जा सकें।

इस बिल पर बहुत ज्यादा बहस की गुं गाइश नहीं है। मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा, ताकि किरायेदारों को राहत मिल सके।

MR. SPEAKER Motion moved

"That the Bill to amend the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*Moved with the recommendation of the President

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan) : Mr. Speaker, this is no doubt an innocuous Bill which has become necessary because of the judgment of the Supreme Court delivered in 1970. It was decided by the Supreme Court that, so far as regulation of housing accommodation is concerned, including rent control legislation, the State Government could not by notification extend the State laws to the cantonment areas. One thing which immediately arises is why private accommodation, or private houses, have not been kept out of the cantonment areas. This is a matter which I would request the Minister to take note of and give some consideration why any special privileges or facilities will have to be given to private houses within the cantonment areas.

Secondly, so far as the drafting of the Bill is concerned, I am very sorry to say that it is so cumbersome that at least so far as sub-clause (3) on page 2 is concerned, it is very difficult to get at the real meaning. Here I may make one suggestion, because I did not get enough time to give notice of an amendment in time. The Minister will kindly consider whether there may be some situation where this law cannot be worked out properly, as it is intended to be done. If you kindly look at sub-clause (3) on page 2, it says :

"Where any enactment in force in any State relating to the control of rent and regulation of house accommodation is extended to a cantonment from a date earlier than the date on which such extension is made (hereafter, referred to as the 'earlier date'), such enactment, as in force on such earlier date, shall apply to such cantonment"

So far this is quite intelligible; then it says-

"and where any such enactment has been amended at any time after the earlier date but before the commencement of the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Amendment Act, 1972, such enactment, as amended, shall apply to the cantonment on and from the date on which the enactment by which such cantonment was made came into force."

Another contingency could arise. Quite apart from amending an Act, an Act could have been repealed and re-enacted. The situation which has been contemplated here is that after the notification is issued and the extension is made effective, there may have been an earlier Act which would be treated to be an earlier Act, in force. Then, till the date of the extension of the notification that Act might have been amended and, therefore, the amended Act might apply. One can understand that intention. But if you look at sub-clause (3), it refers to amendment of existing legislation. But suppose an earlier legislation was repealed and re-enacted; then that will not come within the scope of this clause. Take the West Bengal Act. It repealed the earlier Act of 1950 and re-enacted a new legislation. So, it is not an amending legislation but an entirely new legislation. That contingency has not been thought of here in sub-clause (3) page 2.

On principle we accept this Bill. It has become necessary because of the Supreme Court judgment and necessary action has to be taken. We do not want that decisions taken for all these years should be upset because of this decision of the court because that will create chaos.

So, I want the hon. Minister to give some consideration to sub-clause (3), whether the object of the intended legislation can be achieved by the language that has been used here and why private dwelling houses have been kept out of this. With these words, I support the Bill.

13. hrs.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट के जजमेंट के बाद यह जरूरत महसूस हुई कि केन्द्र की तरफ से कोई विधेयक आए। विधेयक हमारे सामने है और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका विरोध हम लोग करें। क्योंकि मानिक मकान खास कर छात्रावासों में बहुत काफ़ी एक्सप्लायटेसन करते हैं। हमने तो हर जगह देखा है, मैंने अपनी जिन्दगी की कुछ बातें ही छात्रों से

की भी अम्बाला कैंट से, सभी जगह काफी एक्सप्लायटेसन लो। करते हैं, और कोई कानून न होने से क्योंकि रेंट कंट्रोल ऐक्ट बहा लानू नहीं होता, और कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन है नहीं तो उसका फायदा लोग उठाते हैं। तो यह कानून तो होना ही चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे मोअजिज दोस्त सोमनाथ सेटर्जी ने कहा अगर माननीय मंत्री जो इसको पढ़े पृष्ठ 2 पर सेक्शन 3 को तो यह एक सेटेम में जितना लिखा गया है, मैं समझना हूँ कि आज अच्छा है कि जे०सी० नेसफील्ड नहीं रहे वरना उनको इस ग्रामर को देखकर तबलीफ हो जाती। तो एक चीज तो यह होनी चाहिए कि जिस तरीके से ला बनाया जा रहा है, जो सेटेंस यहा रखा गया है इतना कम्प्लेक्स है कि उसकी बाल की खाल निकाल कर हो सकता है और कोई बकील या मकान मालिक दोबारा इसको सुप्रीमकोर्ट में ले जाय, तो यह न हो सके उसके लिए मैं बाबू जगजीवनराम जी में निवेदन करूंगा कि वह दोबारा इस पर सोच ले। यह तो ठीक है कि हम बिल पास कर देंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट अपना काम करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने में जितने विधेयक बनते थे कभी उनका खण्डन हुआ नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम जो यहा पास करें वह इतना सोच समझकर पास करें कि कोई ऐसी गुजाइश उसमें न रह जाय कि जिस। नाजायज फायदा दूसरे लांग उठा सकें।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, इस बिल का सहारा लेकर मैं कुछ चीजें बाबू जगजीवनराम जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि कैंटोनमेंट के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया है। यहाँ इस सदन में हमारे दोस्त भक्त वर्मान जी एक नान-आफिशियल बिल लाये थे 1956 में या 1959 में। उस वक्त सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया साहब जी डिप्टी मिनिस्टर आफ डिफेंस थे, उन्होंने आपवासन

दिया था कि एक काम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन कैंटोनमेंट ऐक्ट को बदलने के लिए लाया जाएगा। क्योंकि कैंटोनमेंट ऐक्ट अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और कैंटोनमेंट की हिस्ट्री क्या है? अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है कि उस वक्त जबकि गोरे हमारे देश में रहा करते थे, अंग्रेजों का राज था तो वह हमेशा चाहते थे कि उनके जो अफसरान हैं, उनकी जो आर्मी है, जिस गोरी पल्टन हम लोग कहा करते थे वह हमेशा साधारण जनता से अलग रहे, साधारण जनता और उनका मेल मिला न हो, इसके लिए ये कैंटोनमेंट बने थे। लेकिन आज हमारे देश में ऐसा नहीं है। आज हमारे जवान बेटे, और हमारे ही भतीजे भांजे आर्मी में हैं, उनका रिश्ता हमारे साथ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज एक हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानी में विभाजन होना चाहिए। एक छावनी में रहे दूसरा उससे अलग रहे। छावनी की जरूरत है उसमें कुछ सेक्योरिटी की भी जरूरत है। लेकिन एक तो जमीन की कमी हिन्दुस्तान में आज है, जमीन के बिनारण क बारे में हम सीमा लगना चाहते हैं तो ऐसे मौके पर एक-एक कैंटोनमेंट में सौ एकड़, दो सौ एकड़, चार सौ एकड़, जमीन पड़ी हुई है, चाहे आप बंबीना में जाए, चाहे कानपुर चले जायें चाहे और कहीं चल कर देख लें। एक तरफ लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है और दूसरी तरफ इतनी जगह पड़ी हुई है। लेकिन जब भी कोई भ्राममी कहता है कि मैं मकान बनाने के लिए तैयार हूँ ताकि लोग उसमें रह सकें, मुझे उसकी इजाजत दी जाय तो फौरन यह आइन्वेक्शन कर दिया जाता है कि हो सकता है कि कमी हमारी आर्मी को जरूरत हो। अगर आर्मी को जरूरत हो तो सरकार के पास कानून मौजूद है, डी०आई०आर० मौजूद है, एमजेंसी आर्डर्स मौजूद हैं, जब भी चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो या और कोई मिनिस्ट्री हो, एक्वायर कर सकती है। एक्वायर हो सकती है। भेरे मकान को एक्वायर कर सकते हैं चाहे

[श्री एस० एम० बनर्जी]

वह कंटोनमेंट में हो या न हो सरकार को ज़रूरत है तो एक्वायर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उस जमीन का विनष्ट भी होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कुछ फंसले इसके बारे में लिए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब उन्होंने पूना में इसका जिक्र किया कि कम से कम उन्होंने सोचने की तरफ बोधिश की है कि कैसे इसका समाधान हो।

बाजारों के बारे में मुझे खास तौर से कहना है। छावनीयों में बाजार तरह-तरह के नाम से हुआ करते थे—ते पखाना बाजार, लालपुरी बाजार, इस तरह से हर जगह थे बाजार हैं और उस बाजार में पहले कौन रहा करते थे? उसमें वह रहा करते थे या माथ में खानसामा हुआ करते थे या नाई हुआ करते थे या भिखारी हुआ करते थे। लेकिन आज सब आदमी वहाँ रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन नामों को बदलना चाहिए और उसमें कुछ ऐसा होनी चाहिए कि निम्न लोगो ने हमारे ऊपर गोलिया चलाई 1857 में उनके नाम पर सड़के नहीं होनी चाहिए। कानपुर में हम लोगो ने एक फंमला कि है और हम चाहते थे कि दीपक दास जिसने अभी 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपनी जान दी उसके नाम से सड़क को पास किया। कंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया, पीपुल्स रेप्रेजेंटेटिव ने पास किया। लेकिन उस पर भी कहा कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट फंमला नहीं दे देगी तब तक यह नहीं होगा। तो जब हम यहाँ की तमाम स्टेबूज को हटाने जा रहे हैं और उनके बदले में वे लोग जिन्होंने अपनी आहुति दी, जिन्होंने देश में आजादी का झंडा लहराया, उनकी स्टेबूज लगाने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन सड़कों का नाम भी बदला जाना चाहिए। मैं आज इस जिले का समर्थन करते हुए श्री जगजीवन राम जी से जो केवल सुरक्षा मंत्री ही नहीं हैं बल्कि देश के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने काफ़ी सघर्ष किया है आजादी की लड़ाई में और

आजादी लाए हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वह डिफेंस मिनिस्टर रहते रहते इस काम को कर जाए वरना बाद में फिर नहीं होगा। एक कर्माधिकारी आफिसर जब भी चाहे जहाँ के रेप्रेजेंटेटिव को कह सकता है कि आपने फंमला गलत किया है। मुझे वाद है एक वक्ता वहाँ के चुने हुए नुमाइशों ने फंमला लिया था तो उस वक्ता के कमांडर थे कर्नल थॉमसन, जो अब नहीं है, उनको निकाल दिया गया था नौकरी में क्रणामेनन साहब के जमान में उन्होंने उस पर लिखा था :

"Joint representation by the members of the Cantonment Board-I consider this to be a mutiny."

एलेक्जेंडर रेप्रेजेंटेटिव के रेप्रेजेंटेशन के लिए यह उनका कहना था।

तो यह पुराने कानून जो थे, मैं समझता हूँ कि आज हमारी सेना में हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं और जब हम हिन्दुस्तान में पीपुल्स आर्मी के नाम में उनको पुकारने की बात कर रहे हैं, ऐसे मौके पर वह सड़े गले कानून जो अंग्रेजों से बनाये थे और जो हिन्दुस्तानी को हिन्दुस्तानी से बाँटा जाय, अंग्रेजों को सुविधा दी जाय, अलग रखा जाय इसके लिए बने थे, उ का अन्त होना चाहिए और मैं बाबू जगजीवन राम जी से इसका आग्रामन चाहता हूँ कि वह इस बात को बनाए कि वह सड़े गले कानून कंटोनमेंट के दूर होंगे और अगले सेशन में हो, या दूसरे सेशन में हो, कम से कम उनके लिये ऐसा कानून लाएँ जिसमें इन्फैंट्रिजेशन इसका हो सके और एम्प्लॉईज को भी सहूलियत मिल सके।

एम्प्लॉईज भी आधा तीतर आधा बटेर की तरह से हैं, उनको मालूम नहीं कि यह है क्या? वह गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी नहीं हैं, डिफेंस एम्प्लॉई भी नहीं हैं...

अध्यक्ष महोदय . इस जिले का स्कोप रेट

रेमिडियशन तक था। जहाँ से बढ़ाकर नाम तक ले आए और फिर अब एम्प्लॉईज पर चले गए। कल को कोई देखेया तो आपको कुछ नहीं बहेया मुझे बहेया कि यह भी बैठे हुए थे। तो स्कोप बढ़ाते-बढ़ाते क्या तक ले जाएंगे ?

श्री एस० एम० बैनर्जी : काफी स्कोप मैंने बढ़ा लिया। अब मैं बैठ जाता हूँ।

अध्यक्ष महोदय बातें अच्छी करते हैं लेकिन हमसे वह नहीं आती।

श्री आर० बी० बड़ें (खगोन) : अध्यक्ष महोदय, कैंटोनमेंट (एक्मटेसन आफ गेट कंट्रोल लाज) अमेडमेंट बिल, 1972 हाउस के सामने विचारार्थ आया है और हम पर इसी वान्ते मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हममें जो हमारे यहाँ महु कैंटोनमेंट है इन्दौर के पास उमका विशेष रूप से उल्लेख है।

इसमें दिया है

"Any law relating to the control of rent and regulation of house accommodation in force in the cantonment of Mhow immediately before the commencement therein of the Madhya Bharat Accommodation Control Act, 1951, shall be, and shall be deemed always to have been, extended to that cantonment under section 3 of this Act with effect from the commencement of such law in that cantonment or from the commencement of this Act, whichever is later."

अब महु कैंटोनमेंट के बारे में मुझे कुछ कहना है। महु कैंटोनमेंट में अभी भी इन्फैन्ट्री बस चलता है और काफी गिल्ड्री भी है। यह जगह इन्दौर के पास है। अब जब इस जगह को स्वयं सम्भालते थे, इसको अलग रखते थे, जैसे हम बानब है और बेईश्वर हैं, लेकिन अब स्वतन्त्रता के बाद इसकी क्या जरूरत है। वहाँ एक महु एरिया है जिसकी विलेज एरिया कहते हैं, अब वह सिटी एरिया बन गया है

और उसकी एक नगरपालिका भी है ...

SHRI JAGJIVAN RAM. All this is beyond the scope of the Bill.

श्री आर० बी० बड़ें अब जो एकट आग लाने जा रहे हैं, मेरा यह कहना है कि यह इतनी देर से क्यों लाया गया।

अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह विषय ही स्कोप है—मैं आप को बतलाता हूँ कि यह कैसे स्कोप के अन्दर है। महु में एक तो कैंटोनमेंट का ला लागू होता है और दूसरा नगरपालिका का लागू होता है। मेरा कहना यह है कि जहाँ नगरपालिका का रेंट कंट्रोल एकट लागू होता है, वहाँ इसका एक्मटेसन इतनी देर से क्यों किया गया। हाई कोर्ट में कसेज गये, वहाँ के फेल हो गये क्यों कि यह एकट वहाँ लागू नहीं था, मध्य प्रदेश का जो 1955 का कानून था, उस को ही एक्मटेसन करते रहे तो इतनी देर से सरकार की नींद क्यों खुली, पहले से हमने क्यों नहीं लाया गया। मेरा तो कहना यह है कि कैंटोनमेंट को ही आप क्यों खत्म नहीं कर डालते। कैंटोनमेंट की कल्पना अंग्रेजों की कल्पना थी, वह साधारण समाज से उसको अलग रखना चाहते थे, आप इसको खत्म कर दें। इस प्रकार के कानून लाने की जरूरत नहीं है।

मैं इस बिल का समर्थन इसलिए करना हूँ क्योंकि यह रिगिस्ट्रारी की फीवर में है। अगर आप इसको पहले ले आते तो हाई-कोर्ट में जितने मुद्दमे चले और वकीलों पर जितना पैसा खर्च हुआ, वह बच सकता था। मुकदमों में वकीलों का फायदा होता है। वकील तो चाहते हैं कि मुकदमे चलते रहें, वे तो इसमें भी नुकस निकालते और हाई कोर्ट में आप का यह कानून भी टिकेगा या नहीं—इसमें मुझे शक है। इसी लिये लोग कहते हैं—

खीसा हो बम, पूता हो तग

गवाह हो सग, तब आता है रग मुकदमे में।

[श्री वार० वी० बडे]

इस समय श्री इन्दौर हाई कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे कैंटोनमेन्ट के पड़े हुए हैं। चूंकि इस कानून में किरायेदारों का फायदा होगा, इस लिये मैं इसको सपोर्ट करता हूँ।

श्री जगजीवन राम : मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, चूंकि मैंने कैंटोनमेन्ट्स की नीति का प्रश्न उठा दिया गया है, इस लिये मैं इतना कह दूँ—

The West Bengal premises (Tenancy) Act as originally enacted in 1956 or as amended subsequently would fall within sub-clause (3) of Clause 3 So, that is covered

इसके बाद भी कानून-वां लोग, इन्फार्मिग वाले यह समझेंगे कि कुछ और संशोधन की जरूरत है तो पीछा किया जा सकता है, लेकिन इस समय तो लोगों की यही राय है कि जिस रूप में इस बिल को बनाया गया है, उससे सब काम हो जायगा।

जहां तक कैंटोनमेन्ट्स का प्रश्न उठाया गया है कैंटोनमेन्ट्स में कुछ प्राइवेट लोगो के भी मकान हैं। जिन जमाने में ये छावनियां बनी थीं, शहरों से ये काफी दूर होती थीं, इस लिए वहां बाजार भी रखना पड़ता था, लोगों को भी रखना पड़ता था। लेकिन अब हर जगह प्रायः शहरों का इतना विस्तार हुआ है कि अधिकांश स्थानों पर ये छावनियां शहर में आ गई हैं और इन छावनियों पर केंद्र का काफी खर्चा होता है। करीब डेढ़ करोड़ रुपये हम अनुदान के रूप में देते हैं जो हमारा नुकसान है। छावनियों से जिसनी आमदनी होती है, उससे ज्यादा खर्च होता है। इस लिए कानून में परिवर्तन की जरूरत है।

जब मैंने इस को लिया तो मैंने यह समझा कि कुछ ऐसा इस्तेमाल करें कि इन छावनियों में जो सैनिक शेज हैं और जो असैनिक शेज हैं अगर इन दोनों में फर्क कर सकें तो यह जो

सवाल उठता है कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, प्रतिनिधियों को अधिकार होना चाहिए, मैं अधिक अधिकार देने के बारे में बराबर सोच करता हूँ। जहाँ हमारे कब्जे से काम चलाना है तब तक तो ठीक रहता है लेकिन जब कभी टैक्स बढ़ाने का सवाल आता है तो चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने एक धर्म-संकट पैदा हो जाता है। इस लिए यह ज्यादा अच्छा होगा जहाँ जहाँ वे कुछ इलाके को 1 साल सकते हैं निकाल दें और पूरी तरह से डेमोक्रेटाइजेशन कर के काम करें। तो हम ने एक टीम बँठा दी है, इस काम के लिए सम्भव है कि किस कानून के बारे में कहा गया था, उसमें कुछ देर हो जाय क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छावनियों के प्रश्न की जहाँ तक सम्भव हो इस तरह से निबटारा कर दिया जाय ताकि यह बराबरी का झगड़ मिट सके।

महू छावनी को हमें रखना पड़ेगा लेकिन जैसा मैंने कहा है, अगर बाजार को अलग कर सके तो अलग कर देंगे, जिससे कि जो घाटा हम को लगता जा रहा है, वह बच सके।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बहुत सीधा सा बिल है, जिस में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सबने इसका स्वागत किया है, इस लिये इसको पास किया जाय।

MR SPEAKER The question is

"That the Bill to amend the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Act 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

The motion was adopted

MR SPEAKER The question is

"That Clauses 2 to 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clauses 2 to 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGJIVAN RAM : I beg to move ;

"That the Bill be passed".

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed".

The motion was adopted

13.18 hrs

SECUNDERABAD AND AURANGABAD CANTONMENTS HOUSE RENT CONTROL LAW (REPEAL) BILL

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI AGJIVAN RAM) : I beg to move :

"That the Bill to provide for the repeal of the Secunderabad and Aurangabad Cantonments House Rent Control Law, 1949, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration "

इसमें भी मान्यवर सबाल ऐसा ही है कि जब हैदराबाद भारत में शामिल हुआ और वहाँ पर सैनिक शासन था तो औरंगाबाद उस वक़्त हैदराबाद में ही था, उस समय किरायेदारों और मालिकों के सम्बन्धों पर नियंत्रण करने के लिए एक कानून सैनिक शासन ने बनाया था। उसके बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिल गया और हैदराबाद-मिर्जापुराबाद आन्ध्र प्रदेश कायम होने पर उसमें गया। वहाँ भी उन्होंने कानून बनाया और उसको लागू कर दिया गया। इस लिए यह अच्छा समझा गया कि इस कानून को खत्म कर दिया जाय, जिसमें कि वही कानून वहाँ पर लागू रहे। और औरंगाबाद में हमारे कानून को ओ बर्दा पर लागू था रखी जाय। रिपॉल करने के बाद भी इसमें प्रबन्ध कर लिया गया है कि जो कार्यवाहिया इस के मातहत की गई है, दुस्त समझा जाय जिससे इसके काम में कोई गड़बड़ी पैदा न हो प्रबन्ध इस दृष्टि से किया गया है।

मैं समझता हूँ कि यह बिल भी किरायेदारों के हक में है, इस लिये इस को पास किया जाय।

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the repeal of the Secunderabad and Aurangabad Cantonments House Rent Control Law, 1949, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan) This is also an innocuous Bill. I would only like to submit that by applying the provisions of the Bill which we have just Passed, the object of the present Bill could have been achieved and the present Bill could have been avoided, because the intention of both the Bills is the same. If the intention is to apply the local rent control law in the Cantonments at Secunderabad and Aurangabad, that could have been achieved by the application of the Bill which we have just passed or by issuing a notification under that Bill and by allowing *simpliciter* the old law to lapse. I do not know why this has not been done so far as the old law is concerned which is sought to be repealed, we have no information as to how this law was against the interests of the tenants and other weaker sections. So far as this Bill is concerned, we support this Bill and we submit only this that the notification that is intended to be issued should be issued at the earliest so that there may not be any time lag

SHRI JAGJIVAN RAM : I assure that the notification will be issued very soon and there will be no time lag

MR. SPEAKER : The question is

"That the Bill to provide for the repeal of the Secunderabad and Aurangabad Cantonments House Rent Control Law, 1949, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : I shall now put the clauses.